गाँधी दर्शन के आईने में उत्तर प्रदेश का किसान आन्दोलन

डॉ. सतीश कुमार सिंह,
एसोसिएट प्रोफेसर,
इतिहास विभाग,
डी.एस.एन.पी.जी. कालेज, उन्नाव

शोध सार

''महात्मा गाँधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग चम्पारन में किसान आन्दोलन के दौरान किया। वहाँ के किसान अपनी ही जमीन के 3/20 भाग में नील की खेती उसके असल मालिकों के लिए करने वाले कानून से बंधे थे। गाँधी के प्रयासों से नील किसानों का शोषण हमेशा के लिए समाप्त हो गया। भारत में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में हुआ। पहली बार इस सभा में कृषकों के हितों को संरक्षित करने का विस्तृत प्रयास किया गया। गाँधी भारत में भारी उद्योगों को स्थापित करने के पक्ष में नहीं थे। 1947 में भारत को राजनैतिक आजादी तो अवश्य मिल गयी परन्तु किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। आज विकास के नाम पर बड़े–2 एक्सप्रेसवे टाउनशिप एवं औद्योगिक एरिया बनाने के नाम पर किसानों का शोषण हो रहा है। उचित मुआवजा की मांग को लेकर किसान सड़कों पर आन्दोलन कर रहे है। विचारणीय प्रश्न यह है कि यदि खेती की उपजाऊ जमीन पर एक्सप्रेसवे, टाउनशिप और औद्योगिक क्षेत्र बनेगा तो कहीं भविष्य में अनाज का संकट न उत्पन्न हो जाये? किसान आंदोलन में गाँधी दर्शन आज भी उतना ही प्रासंगिक है, जितना पहले था। आज जरूरत इस बात की है कि किसान आंदोलनों को हिंसात्मक नहीं होना चाहिए और सड़कों पर आमजन को तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए।''

मुख्य बिन्दु– इतिहास, किसान संघर्ष और एक्सप्रेसवे का निर्माण

स्वतन्त्रता तो मानव का जन्मसिद्ध अधिकार है, परन्तु 1947 में प्राप्त राजनैतिक स्वतन्त्रता क्या गांधी की भूमिका के बिना सम्भव थी? दक्षिण अफ्रीका की भूमि से अपना राजनैतिक जीवन प्रारम्भ करने वाले गांधी जी ने अपने देहावसान तक जिस प्रकार के कार्य किये वह अपने आप में अविस्मणीय मिसाल है। आज हम स्वतन्त्र भारत देख रहे हैं वह उन्हीं के प्रयासों का प्रतिफल है। महात्मा गाँधी के विचारों को उनके जीवन से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। उनकी समस्त आस्थाओं का स्रोत उनका व्यक्तिगत रूप से जिया हुआ सत्य है। उनके 'सत्य के प्रयोग' में मानव जाति का गूढ़ खजाना छिपा हुआ है। उनके लिये सत्य ही लक्ष्य था, सत्य ही साधन और सत्य ही साध्य है। उनकी सारी दार्शनिक अनुभूतियाँ उनके कर्मयोग की देन है। उन्होनें जो कुछ कहा उन्होंने स्वयं करके दिखाया। कदाचित वे दुनिया के पहले व्यक्ति थे, जिनकी कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं था। आज हम यथार्थ में जी रहे हैं और गाँधी के विचार आदर्शवादी हैं इसी कारण आदर्शवादी दृष्टिकोण को हम सन्देह की दृष्टि से देखने लगते हैं। स्वतन्त्र भारत में हमने जिस शक्ति और सत्ता–लोलुपता के दर्शन किये हैं उससे हमारे मन में कई प्रश्न उठने लगते हैं। गाँधी जी नैतिकता की बात करते हैं और उन्होंने भारत पर ब्रिटिश शासन को नैतिक रूप से अनुचित कहा और इसी नैतिकता के बल पर उन्होंने ब्रिटिश सरकार को भारत से बाहर जाने के लिए मजबूर भी किया।

स्वतंत्रता आन्दोलन में महात्मा गाँधी के प्रवेश से पूर्व भारत में गरीब किसान, मजदूर और ग्रामीण अंचलों में रहने वाले लोग शोषण के विरूद्ध आवाज तो उठाते थे परन्तु इन लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी ही नहीं थी। जिसका फायदा ब्रिटिश सरकार उठाती थी और ऐसे आन्दोलन जल्द ही दम तोड़ देते थे। महात्मा गाँधी ने किसानों और मजदूरों के लिये सुनियोजित ढंग से संघर्ष किया और साथ ही संघर्ष के लिये अनूठे साधनों का प्रयोग भी किया जो इससे पूर्व कहीं भी विश्व में प्रयुक्त नहीं हुये थे और यह साधन थे– सत्याग्रह, अहिंसा एवं असहयोग। महात्मा गाँधी ने संघर्ष का ऐसा कार्यक्रम तैयार किया, जिससे जनसाधारण की राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रति जागरूकता बढ़ सके और राष्ट्रीय आन्दोलन का फलक और विस्तृत हो सके। किसानों के लिये उनका कार्यक्रम था कि वे अनुचित भू राजस्व नहीं दे। आम जनता से उनका आग्रह था कि वे अनुचित कानूनों का उल्लंघन करें। लोगों को खादी और हाथ से बने कपड़ों का प्रयोग करने के लिये प्रेरित किया। गाँधी जी ने पश्चिमी सभ्यता के मोहजाल से भारतीय लोगों को निकालने के लिये विदेशी कपड़ों की होली जलवायी और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने के लिये प्रेरित किया। इन सब कार्यक्रमों से किसान, मजदूर और आम आदमी हड़तालों और जुलूसों में शामिल होने लगे और एक व्यापक आन्दोलन की नींव रखने में गांधी जी सफल हो गये।

महात्मा गाँधी के भारतीय राजनीति में प्रवेश से पूर्व स्वतन्त्रता आंदोलन की लहर कुछ चंद बड़े शहरों के लोगों तक सीमित थी परन्तु गाँधी के भारतीय स्वतन्त्रता आंदोलन में प्रवेश के बाद एक बड़ा परिवर्तन यह आया कि ग्रामीण किसान इस आंदोलन से जुड़ गया और आम आदमी भी आजादी के महत्व को समझने लगा। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण यह है कि भारत में आने के पश्चात् उन्होनें चम्पारन (उत्तरी बिहार) खेड़ा (गुजरात) एवं बारदोली में कृषकों के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठायी। यह सत्य है कि इन स्थानों में, स्थानीय मुद्दों को अखिल भारतीय राजनीतिक स्तर तक ले जाने के लिए गाँधी जी का हस्तक्षेप अपरिहार्य था, फिर भी इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि इन दोनों स्थानों पर असंतोष और विरोध की भावना गाँधी के आगमन से पहले ही विद्यमान थी।[1] गाँधी का भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किसानों का आंदोलन ही था। महात्मा गाँधी ने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग में चम्पारण के किसान आन्दोलनों के बारे में जिक्र किया है। चम्पारण के किसान अपनी ही जमीन के 3/20 भाग में नील की खेती उसके असल मालिकों के लिए करने के कानून से बंधे थे।[2] गाँधी के प्रयासों से सरकार ने एक जांच आयोग नियुक्त किया, गाँधी को भी इसका सदस्य बनाया गया और परिणामस्वरूप कानून द्वारा इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया, जिसके अन्तर्गत जमीन के तीन हिस्से पर जमींदारी के लाभ के लिए नील की खेती करना जरूरी था। चम्पारण की घटना को भारत की पहली विजय माना जा सकता है।[3] गाँधी के प्रयासों से नील किसानों का शोषण हमेशा के लिए समाप्त हो गया। गाँधी जी ने कृषकों को अंहिसात्मक असहयोग आंदोलन की शिक्षा दी। किसानों की समस्यायें देश के हर कोनें में थी और संयुक्त प्रांत (आधुनिक उत्तर प्रदेश) इससे अछूता नहीं था। गाँधी जी के व्यक्तित्व का ही प्रभाव था कि इसी दौरान संयुक्त प्रांत, बिहार, पंजाब आदि में किसान सभाओं का गठन हुआ और उन्होंने गाँधी के अंहिसात्मक विरोध करने के सि़द्धान्त का पालन किया। इतिहासकार विपिन चन्द्र ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक भारत का स्वतंत्रता संघर्ष में अवध के किसानों का उल्लेख किया है। उन्होंने 1856 में अवध किसानों के संघर्ष का वर्णन करते हुए कि 1856 में अवध पर अंग्रेजी हुकूमत के कब्जे के बाद पूरे प्रान्त में तालुकेदारों और बड़े जमींदारों ने किसानों पर अपनी पकड़ बना ली और किसानों का बेइंतहा शोषण करने लगे। अब वे मनमाना लगान वसूलते और जब चाहते तब नजराने की रकम बढ़ा देते।[4] उत्तर प्रदेश में गौरी शंकर मिश्र, इन्द्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ। दिसम्बर, 1918 में दिल्ली के कांग्रेस अधिवेशन में बड़ी संख्या में भाग लिया।[5] 1919 में किसानों का संगठित विद्रोह

खुलकर सामने आया। प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में 'नाई धोबी बन्द' सामाजिक बहिष्कार और संगठित कार्यवाही की पहली घटना थी। अवध के किसान आन्दोलन में एक नया चेहरा बाबा रामचन्द्र के रूप में उभरा जिन्होंने आंदोलन की बागडोर का संभालने के साथ–साथ उसे और मजबूत बनाया।

भारत में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन अप्रैल, 1936 में लखनऊ में किया गया। इसके अध्यक्ष, सहजानन्द एवं सचिव, एन0जी0 रंगा थे। लखनऊ के इस अधिवेशन में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने सभा को सम्बोधित किया। राम मनोहर लोहिया, सोहन सिंह जोश, इन्दुलाल माणिक, जय प्रकाश नारायण, आचार्य नरेन्द्र देव जैसे महत्वपूर्ण लोगों ने इस सभा में भाग लिया। पहली बार इस सभा में कृषकों के हितों को संरक्षित करने के लिये विस्तृत घोषणापत्र को अंतिम रूप दिया गया। कांग्रेस द्वारा कृषकों के लिये फैजाबाद में अपनाये गये घोषणापत्र को किसान सभा के घोषणापत्र ने प्रभावित किया। फैजाबाद में कृषकों के हितों को संरक्षित करने के लिये निम्न प्रस्ताव पारित किये गये:–

1. आर्थिक शोषण से किसानों का संरक्षण।
2. भू–राजस्व और लगान मे 50% तक की कटौती करना।
3. ऋण स्थगन।
4. सामन्ती वसूलियों की समाप्ति।
5. काश्तकारों के लिये काश्तकारी अवधि की सुरक्षा।
6. श्रमिकों के लिये निर्वाह मजदूरी।
7. किसान सभाओं को मान्यता।

किसान सभा ने जमींदारी की समाप्ति, साहूकारों को लाइसेन्स देना, खेतिहर मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करना, वाणिज्यिक फसलों के लिये उचित मूल्य आदि की मांग भी रखी थी।[6] उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में किसानों के महत्वपूर्ण नेता बाबा रामचन्द्र के प्रयासों से किसानों की बेदखली पर रोक लगी यद्यपि यहाँ यह कहना उचित होगा कि गाँधी जी या कांग्रेस का इससे कोई सीधा सम्बन्ध नहीं था परन्तु फिर भी स्थानीय जनता इसे गाँधी जी से जोड़कर देखती थी। इसी क्रम में हरदोई, उन्नाव एवं अन्य छोटे शहरों में भी किसानों ने बड़ी संख्या में एकत्र होकर अहिंसात्मक विरोध किया।

वर्ष 1947 में भारत को राजनैतिक आजादी अवश्य मिल गयी। यह विश्वास किया गया कि किसानों और आम मेहनतकश आदमी की मांगे स्वीकार की जायेगी लेकिन आज यह विचारणीय प्रश्न है कि क्या कृषकों को उनके अधिकार आज प्राप्त हो गये हैं? आज किसानों को तरह–तरह की प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है अपनी फसल का उसे उचित मूल्य नहीं मिल रहा है बिचौलिये कौड़ी के भाव में किसानों की फसलें खरीद कर बाजार में महंगे दामों में बेंच रहे हैं। सरकार बड़े–2 गंगा और यमुना एक्सप्रेसवे के नाम पर किसानों से उनकी उपजाऊ भूमि औद्योगिक विकास एवं टाउनशिप विकास के लिये खरीदकर बड़े–2 पूंजीपतियों को दे रही है। उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा से बलिया तक 1048 किलोमीटर लम्बे 8 लेन के एक्सप्रेसवे की परियोजना 2007 में पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती के शासनकाल में शुरू की गयी थी।[7] परन्तु उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने पर्यावरणीय कारणों के चलते निर्माण कार्य पर रोक लगा दी थी। उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिया कि राज्य पूर्ण पर्यावरण का अध्ययन करे। इसके पश्चात् वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कुम्भ मेले के आयोजन स्थल इलाहाबाद में कैबिनेट की बैठक में मेरठ और इलाहाबाद के बीच गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण को स्वीकृति प्रदान

की थी।[8] इसी तरह दूसरी योजना यमुना एक्सप्रेसवे थी, जिसके अन्तर्गत नोएडा से आगरा के बीच 165.54 किलोमीटर 6 लेन (बाद में 8 लेन करने पर विचार) एक्सप्रेसवे बनाया गया है। इसी योजना के अन्तर्गत टाउनशिप एवं इण्डस्ट्रियल एरिया भी विकसित हो रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान 2001 में किया गया था। यह योजना यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा मार्ग पर बढ़ रहे परिवहन दबाव को कम करने के लिए बनायी गयी।[9] इस एक्सप्रेसवे को ताज एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा गया है। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण जे0पी0 समूह ने मई, 2012 में पूर्ण किया था। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में आगरा एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ जो आगरा से शुरू होकर फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, उन्नाव, हरदोई से गुजरता है जिसकी लम्बाई 302.22 कि0मी0 है। यह एक्सप्रेसवे 6 लेन (8 लेन तक विस्तारणीय होगा) 2016 में बनकर तैयार हुआ।[10]

यमुना एक्सप्रेसवे के अन्तर्गत लगभग 1182 गांवों के लिये सरकार ने अधिसूचना जारी की थी, जिसके अन्तर्गत गौतमबुद्धनगर, अलीगढ़, महामायानगर, मथुरा, आगरा जिले आते हैं। मुख्य समस्या तब आयी जब किसानों ने भूमि अधिग्रहण का विरोध किया। किसानों के उग्र विरोध को सरकार ने बल प्रयोग से दबाने का प्रयास किया। सरकार को किसानों से निपटने के लिये लाठीचार्ज से लेकर फायरिंग तक करनी पड़ी। किसान आंदोलन से जुड़े करीब आधा दर्जन गांवों में किसानों ने राखी नही बंधवायी। किसान आन्दोलन की गूंज 26 अगस्त, 2010 को दिल्ली की सड़कों पर दिखायी दी जब लगभग 150000 किसानों ने संसद भवन पर धरना दिया।[11,12,13] उत्तर प्रदेश के किसान आन्दोलन के इतिहास में इस घटना से एक नया अध्याय जुड़ गया। किसानों का यह आन्दोलन वास्तविक रूप से किसानों की अस्मिता से जुड़ा हुआ है यदि जमीन चली गयी तो थोड़े से मुआवजे से वह कितने दिनों तक अपनी जीविका चला पायेगा। आज हर पार्टी किसानों की बात करती है परन्तु जैसे ही पार्टी सत्ता में आती है वैसे ही सबसे अधिक उपेक्षा का शिकार आज भी किसान ही होता है।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे के निर्माण में किसानों के जमीन का उचित मुआवजा निश्चित रूप सरकारों के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। यमुना एक्सप्रेसवे के निर्माण के समय टप्पल और पट्टा परसौल के किसानों ने जमीनों का अतिरिक्त मुआवजा न मिलने पर आन्दोलन किया।[14] इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के किसानों की याचिका पर 21 अक्टूबर, 2011 को फैसला दिया कि किसानों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा दिया जाय।[15] यमुना एक्सप्रेसवे के किसानों को अतिरिक्त मुआवजा देने पर यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण पर 6000 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ने का अनुमान था। अतिरिक्त मुआवजे को लेकर बलदेव (मथुरा) और एत्मादपुर थाने के अन्तर्गत गढ़ीराम में किसानों ने आंदोलन चलाया।[16] पश्चिमी उत्तर प्रदेश इन किसान आंदोलनों के कारण प्रशासनिक संघर्ष का पर्याय बन गया था। इस क्षेत्र में किसानों की भूमि को भारी उद्योग, सड़कें व टाउनशिप आदि के लिए अधिग्रहीत किया जा रहा है। भारत में 2010 में कॉमनवेल्थ खेल हुए। सरकार की योजना थी कि लाखों देशी–विदेशी पर्यटक इन खेलों को देखने आयेंगे। इसी कारण ये एक्सप्रेसवे केन्द्र व प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल था।[17] गंगा एक्सप्रेसवे से लगे इलाकों में भी किसानों ने आंदोलन किया। किसान एक्सप्रेसवे का एलाइनमेंट बदलने से किसान नाराज हुए। मेरठ के खरखौदा ब्लाक के किसानों ने कई गांव में पंचायत कर आंदोलन की रूप रेखा तैयार की थी। किसानों का कहना है कि 32 गांवों में बैनामे 14 माह से बन्द हैं।[18]

यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास की जमीन जे0पी0 ग्रुप द्वारा सुनियोजित तरीके से विकसित किये जाने की योजना थी। सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहीत करने की जब घोषणा की गयी तो आगरा के चार गांव गढ़ीराम, चौगान, चलेसर एवं भंगरा गांव के किसानों ने जमीन के लिए आर–पार की

लड़ाई लड़ने का फैसला किया। जे0पी0 ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि अप्रिय स्थिति सुनियोजित तरीके से विकसित की जाने वाली जमीन को लेकर है। राजनीतिक दलों द्वारा इसे मुद्दा बनाये जाने के कारण परेशानियाँ आ रही हैं। अधिकतर किसान अपनी भूमि देने को तैयार हैं। अनुबन्ध के अनुसार इनका निर्माण अप्रैल, 2013 तक पूरा किया जाना है लेकिन कॉमनवेल्थ खेलों को देखते हुए कम्पनी की प्राथमिकता थी कि इनके आयोजन से पूर्व ही इनका कार्य पूरा हो जाये। यमुना एक्सप्रेसवे के किसानों की निम्न मांगें थी[19]:–

(1) खुद अपनी जमीन नहीं देंगे यदि देंगे तो खेती कहां करेंगे।
(2) यदि जमीन देंगे तो उसका मुआवजा मूल्य कम से कम 5000 रूपये प्रतिवर्ग मीटर की दर से मिले, जबकि यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी किसानों को 446 रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से भुगतान दे रही थी।

आज महात्मा गाँधी जी के विचारों की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है जब किसानों के हितों को संरक्षित करने की बात की जाती है। गाँधी जी की परिकल्पना के अनुरूप आज कोई भी आन्दोलन पूरी तरह से अहिंसात्मक नहीं हो पाता है। आन्दोलित किसानों ने सरकारी सम्पत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया यह भी हिंसा का ही एक रूप है। यह आवश्यक नहीं है कि हिंसा प्राणी मात्र के प्रति ही हो हिंसा मन, वचन और कर्म से होती है। गाँधी के लिये अहिंसा सिर्फ एक अवधारणा नहीं बल्कि आस्था का आयाम, अस्तित्व का प्रश्न और सांस्कृतिक अनिवार्यता थी। उनके मन में कीड़े–मकोड़ों के प्रति भी सद्भाव था। उनका कहना था कि अहिंसा तो निर्भीक और बहादुरों के लिये है, कायरों और दब्बुओं के लिये नहीं। गाँधी जी के अहिंसा के मूल में संयम छिपा हुआ है और स्वतंत्रता आन्दोलन में इसके बीज जगह–2 बिखरे पड़े हैं। गांधी जी के अहिंसात्मक विचारों की गूंज भारत ही नहीं विदेशों में भी सुनायी देती है और विश्व जनमत ने इसे एकमत से स्वीकृति भी प्रदान की है। मार्टिनलूथर किंग (जूनियर) के शब्दों में ''यदि मानवता को प्रगति करनी है, तो गाँधी जी को नहीं छोड़ा जा सकता है....... उनकी उपेक्षा का नुकसान हमें खुद ही उठाना पड़ेगा।''

निष्कर्ष

गाँधी जी के विचारों में एक तथ्य यह छिपा हुआ है कि उस समय 90% से अधिक जनता गांवों में रहती थी, जिसकी रोजी–रोटी किसानी या मजदूरी करके गुजरती थी। उनका मानना था कि कोई भी सरकारी कार्यक्रम तब तक सफल नहीं हो सकता था जब तक गांवों में गरीबी का उन्मूलन न किया जाये। उन्होने कुटीर उद्योगों की बात इसी सन्दर्भ में कही थी अगर आज उत्तर प्रदेश में 65% से अधिक लोग आज भी गांव में रहते हैं और क्या आज हर प्रदेशवासी के पास दो वक्त की रोटी, सिर ढकने के लिये मकान और तन ढ़कने के लिये कपड़ा है! और यदि नहीं है तो इस आजादी के कोई मायने नहीं आज प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण के बावजूद गांवों की स्थिति में कोई बहुत बड़ा बुनियादी परिवर्तन नहीं आया है। हाँ स्थिति बदली है तो कुछ बड़े शहरों की जो दुनियाँ के बड़े–2 शहरों से मुकाबला कर रहे हैं गांधी जी ने बड़े–2 उद्योगों का विरोध इसलिये किया था क्योंकि वे 90% गांव की जनता का हित चाहते थे। गाँधी जी का विचार था कि उत्पादन निम्न स्तर से ऊपर की ओर अग्रसर होना चाहिए उत्पादन बढ़ाने मात्र से समस्या का हल नहीं होगा जब तक गांव की गरीब जनता अपने पैरों पर खड़ी नहीं होगी तब तक वह उद्योगपतियों के शोषण का शिकार बनती रहेगी। 1934 में 'हरिजन' में गाँधी जी ने लिखा था,''ग्रामोद्योगों की योजना के पीछे मेरी कल्पना तो यह है कि हमें अपनी रोजमर्रा की आवश्यकतायें गांवों की बनी चीजों से ही पूरी करनी चाहिये और जहां तक मालूम हो कि अमुक चीज गांव में मिलती ही नहीं है वहां हमें यह देखना चाहिये कि उन चीजों को थोड़ा परिश्रम और संगठन बनाकर

गांव वाले उनसे कुछ मुनाफा उठा सकते हैं या नहीं। मुनाफे का अन्दाज लगाने में हमें अपना नहीं किन्तु गांव वालों का ख्याल रखना चाहिये।'' गाँधी जी ने सत्ता को सावधान करते हुये कहा, ''सरकार को अपनी नैतिक सत्ता के आधार पर शासन करना चाहिये।'' इस तरह के विचार बदलते समय में भी उतने ही प्रासंगिक है जितना आज से लगभग 80 साल पहले थे। आज प्रश्न यह है कि क्या उन विचारों के अनुरूप हम अपनी सोच को विकसित पाते हैं या नहीं।

सन्दर्भ सूची

1.सुमित सरकार, आधुनिक भारत (1885–1947). अनुवाद सुशील डोभाल, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2001, पृष्ठ–174।
2.एम.के.गाँधी (2003).सत्य के प्रयोग अथवा अत्मकथा, अनुवाद काशीनाथ त्रिवेदी, नवजीवन प्रकाशन, अहमदाबाद, जनवरी.पृष्ठ–368–369
3.विंसेंट शीन, (2006).गाँधीजी एक महात्मा की संक्षिप्त जीवनी, अनुवाद हेमेन्द्र, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृष्ठ–99
4.विपिनचन्द्र, (2015).भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, फरवरी, पृष्ठ–174
5.वही, पृष्ठ–175
6.ग्रोवर, बी.एल. एवं यशपाल (2002). आधुनिक भारत का इतिहास एक नवीन मूल्यांकन, एस0 चाँद कम्पनी लि0, नई दिल्ली, पृष्ठ–354
7.हिन्दुस्तान हिन्दी दैनिक समाचार, लखनऊ नगर संस्करण, 17 एवं 18 अगस्त, 2010
8.अमर उजाला हिन्दी दैनिक समाचार लखनऊ नगर संस्करण 25 एवं 26 अगस्त, 2010
9. Hindustan Times, English Newspaper, Lucknow addition, 27 August, 2010.
10.www. bbc.com/hindi/India/Farmer land, 30 Sep., 2009.
11.www.aajtak.in, New Delhi.
12.www.bbc.com/hindi/India/Farmer land, 30 Sep., 2009.
13.www.deshbandhu.com.in, 23.8.2014.
14.www.hindu.com / 8 December 2007.
15.www.Jagran.com/Uttar Pradesh/Meerut City, 30 Aug. 2020.
16.www.jagran.com/uttarpradesh/noida,9.5.2017.
17.www.ndtv.com/india-news/ganga express way, 29 January, 2019.
18.www.Patrika.com/Agra News, 24.6.2018.
19.www.upeid.up.gov.in